न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बागावास अहीरान, कैम्प दिनांक 22.05.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार गूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 54/2015 दायर तारीख 29.05.2015

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास जाती अहीर निवासी फतेहपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर

—— वादी

बनाम

1. श्योदान
2. रिछपाल
3. रामशरण

} पुत्रान झबरू, जाती अहीर निवासी ढाणी गोछणकी हनुमाननगर, तहसील विराटनगर

4. विमला गुप्ता पत्नी कन्हैयालाल जाती अग्रवाल निवासी नागलबानी तहसील थानागाजी, जिला अलवर
5. सरदारमल पुत्र घीसाराम जाती अहीर निवासी लुहाकना कलां, तहसील विराटनगर
6. दोलतराम पुत्र ओमकार जाती अहीर निवासी हनुमाननगर, तहसील विराटनगर
7. सरदारा पुत्र झबरू जाती अहीर निवासी ढाणी गोछण की हनुमाननगर तहसील विराटनगर
8. उर्मिला कंवर पत्नी महिपाल जाती राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर
9. प्रेमलता उर्फ रूडी पत्नी प्रहला सहाय जाती कुम्हार निवासी हनुमाननगर तहसील विराटनगर
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादी
श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादी
पैरोकार सरकार

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधि.,(री)
विराट नगर, जयपुर

निर्णय

निर्णय दिनांक 22.05.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर में वादी का 6725/11800 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है तथा आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है। आराजी मुतनाजा की पूर्व दिशा में प्रतिवादी संख्या 4 बिमला का कब्जा है तथा बिमला के पश्चिम दिशा की तरफ वादी के हिस्सा 6725/11800 की भूमि है। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं होने से भूमि सुधार के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने में परेशानी होने से कानूनी बंटवारा कराया जाना आवश्यक हुआ है। अतः निवेदन है कि ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी का पृथक से कब्जा करवाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।
2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 128 संवत् 2068–2077 पेश किये।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया।
4. प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि प्रतिवादी संख्या 4 ने वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 131 एवं इसके बतरफ पूर्व लगते हुए खसरा नम्बर 130 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 से खरीदी थी तथा उसमे से प्रतिवादी संख्या 4 ने अधिकांश भूमि का बेचान कर मौके पर लोगों को काबिज भी करा दिया, उसी श्रेणी में प्रतिवादी संख्या 4 ने नवलकिशोर गर्ग को खसरा नम्बर 131 मे से भूमि हिस्सा 6725/11800 का बेचान किया था, जिससे वादी ने हिस्सा 6725/11800 खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर मे से खरीदा था। प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 7 से उसके हिस्से की 1/8 भूमि हाल खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर जिसका रकबा 0.03 हैक्टेयर के करीब होता है, लेकर इतनी ही भूमि प्रतिवादी संख्या 7 को खसरा नम्बर 131 मे से दी थी और उसी हिसाब से मौके पर एक–दूसरे को कब्जा संभला दिया था।

हाल खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर मे प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 के हिस्सा 1/4 जिसका रकबा 0.2950 हैक्टेयर होता है एवं प्रतिवादी संख्या

4 से खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्सा 1/8 की 0.03 हैक्टेयर भूमि देकर 131 मे प्रतिवादी संख्या 4 से 0.03 हैक्टेयर भूमि ली है, इस प्रकार कुल भूमि 0.3250 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की 0.035 हैक्टेयर भूमि यानी कुल 0.36 हैक्टेयर भूमि पश्चिम की हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 8 का कब्जा काश्त है। अतः प्रतिवादी संख्या 4 के हाल खसरा नम्बर 131 में बचे शेष हिस्सा 1642/11800 मे से प्रतिवादी संख्या 7 को हिस्सा 3/118 देकर प्रतिवादी संख्या 4 को इसकी एवज में प्रतिवादी संख्या 7 की हाल खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर हिस्सा 1/8 देकर बंटवारा कराया जाना आवश्यक है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि मौके पर हुए बाहमी बंटवारे के हिसाब से हाल खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 350/3600, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 को हिस्सा 3250/3600 क़ मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादी संख्या 37/3600, प्रतिवादी संख्या 6 को हिस्सा 19/3600, प्रतिवादी संख्या 7 को 3176/3600, प्रतिवादी संख्या 8 को 18/3600 का खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जाकर मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा किया जावे एवं खसरा नम्बर 130 मे से प्रतिवादी संख्या 7 का नाम हटाकर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज किया जावे।

5. उभय पक्ष के निवेदन पर प्रकरण दिनांक 05.04.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप उभय पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई।

6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बागावास अहीरान में मजमा–ए–आम राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु पेश हुई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

7. प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप प्राप्त हुआ है तथा

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। वस्तुतः ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर में वादी का 6725/11800 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है तथा आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 4

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018

ने वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 131 एवं इसके बतरफ पूर्व लगते हुए खसरा नम्बर 130 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 से खरीदी थी तथा उसमे से प्रतिवादी संख्या 4 ने अधिकांश भूमि का बेचान कर मौके पर लोगों को काबिज भी करा दिया, उसी श्रेणी में प्रतिवादी संख्या 4 ने नवलकिशोर गर्ग को खसरा नम्बर 131 मे से भूमि हिस्सा 6725/11800 का बेचान किया था, जिससे वादी ने हिस्सा 6725/11800 खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर मे से खरीदा था। जहां, तक प्रतिवादी संख्या 4 के हाल खसरा नम्बर 131 में बचे हिस्सा 1642/11800 मे से प्रतिवादी संख्या 7 को हिस्सा 3/118 देकर प्रतिवादी संख्या 4 को इसकी एवज में प्रतिवादी संख्या 7 की हाल खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर हिस्सा 1/8 देकर बंटवारा किये का प्रश्न है, उसके संबंध मे यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है, जिसके मुताबिक हाल खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर का पश्चिमी भाग रकबा 3440 वर्गमीटर यानी 0.3440 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 8 के हक में मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से में प्रतिवादी संख्या 4 बिमला देवी के साथ खसरा नम्बर 130 में किये गये अदला–बदली के रूप में 188 वर्गमीटर भूमि अधिक रहेगी एवं बिमला देवी के रकबा 0.1823 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का हिस्सा 1454/1635, 181/1635 रहेगा जो बतरफ पश्चिम मे रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 7 सरदारा की 100 मीटर यानी 0.01 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 130 मे रहेगी। वादी महेन्द्र कुमार के हक में मध्य भाग 0.6725 हैक्टेयर भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 4 एवं 9 का हिस्सा बतरफ पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं 6 लगायत 8 का हिस्सा बतरफ पश्चिम में एवं मध्य भाग वादी के हक में रहेगा। प्रतिवादी संख्या व 7 के मध्य हुए आपसी समझौते के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 के खसरा नम्बर 131 मे दर्ज हिस्से मे से 188 मीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 7 को दी जाकर प्रतिवादी संख्या 7 के नाम खसरा नम्बर 130 मे दर्ज भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 4 बिमला देवी को 187 मीटर भूमि दी जाकर शेष 100 मीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के हक में रहेगी। अतः उक्त सहमति पत्र एवं राजीनामा को पूर्ण माना जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

9. वस्तुतः हस्तगत वाद के खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर के कानूनी बंटवारे के संबंध में प्रकरण दिनांक 05.04.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। अतः राजस्व लोक अदालत की मंशा अनुरूप

पक्षकारों के विवाद को सुगम तरीके से निपटारे की भावना से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 7 के मध्य हुए अदला बदली सहमति पत्र तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के मध्य हुए राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं राजीनामा डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम किशनपुरा की खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	महेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामनिवास यादव	131/2 रकबा 0.6725 हैक्टेयर (मध्य भाग)
2	श्योदान, रिछपाल, रामशरण पुत्रान झबरू हिस्सा 302/3440, सरदारमल पुत्र घींसाराम् हिस्सा 37/3440, दौलतराम पुत्र औमकार हिस्सा 19/3440, सरदारा पुत्र झबरू हिस्सा 3064/3440, उर्मिला कंवर पत्नी महिपाल सिंह हिस्सा 18/3440,	131/1 रकबा 0.3440 हैक्टेयर (पश्चिमी भाग)
3	विमला गुप्ता पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 1454/1635, प्रेमलता उर्फ रूडी पत्नी प्रहलादसहाय हिस्सा 181/1635	131/0.1635 हैक्टेयर पूर्वी भाग

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें तथा वादी को बंटवारे में आयी भूमि का पृथक से कब्जा संभलाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 22.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प बागावास अहीरान में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)

पीठासीन अधिकारी

राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार–2018

उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार—2018 कैम्प कोर्ट बागावारा अहीरान

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास जाती अहीर निवासी फतेहपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर — वादी

बनाम

1. श्योदान
2. रिछपाल
3. रामशरण

(1–3) पुत्रान झबरू, जाती अहीर निवासी ढाणी गोछणकी हनुमाननगर, तहसील विराटनगर

4. विमला गुप्ता पत्नी कन्हैयालाल जाती अग्रवाल निवासी नागलवानी तहसील थानागाजी, जिला अलवर
5. सरदारमल पुत्र घीसाराम जाती अहीर निवासी लुहाकना कलां, तहसील विराटनगर
6. दोलतराम पुत्र ओमकार जाती अहीर निवासी हनुमाननगर, तहसील विराटनगर
7. सरदारा पुत्र झबरू जाती अहीर निवासी ढाणी गोछण की हनुमाननगर तहसील विराटनगर
8. उर्मिला कंवर पत्नी महिपाल जाती राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर
9. प्रेमलता उर्फ रूडी पत्नी प्रहला सहाय जाती कुम्हार निवासी हनुमाननगर तहसील विराटनगर
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 54/2018 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री मदनलाल जाट एडवोकेट व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी का पृथक से कब्जा करवाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जा काश्त व उपयोग—उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार—2018
उपखण्ड— विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बागावास अहीरान में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रकरण दिनांक 05.04.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा आपसी सहमति राजीनामा पेश किया। अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं राजीनामा डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम किशनपुरा की खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	महेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामनिवास यादव	131/2 रकबा 0.6725 हैक्टेयर (मध्य भाग)
2	श्योदान, रिछपाल, रामशरण पुत्रान झबरू हिस्सा 302/3440, सरदारमल पुत्र घींसाराम हिस्सा 37/3440, दौलतराम पुत्र औमकार हिस्सा 19/3440, सरदारा पुत्र झबरू हिस्सा 3064/3440, उर्मिला कंवर पत्नी महिपाल सिंह हिस्सा 18/3440,	131/1 रकबा 0.3440 हैक्टेयर (पश्चिमी भाग)
3	विमला गुप्ता पत्नी कन्हैयालाल हिस्सा 1454/1635, प्रेमलता उर्फ रूडी पत्नी प्रहलादसहाय हिस्सा 181/1635	131/0.1635 हैक्टेयर पूर्वी भाग

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें तथा वादी को बंटवारे में आयी भूमि का पृथक से कब्जा संभलाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी को बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 22.05.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प बागावास अहीरान में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुबलिक ....शून्य.......................... बाबत ....शून्य........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **22.05.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner